


14-1-19

वकील प्रार्थी व अग्रार्थी उप०

इस स्पगन प्रार्थना पत्र से सम्बन्ध
कामील का कानून निर्णय किया जा-रूका है तथा
इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही
अपेक्षित नहीं होगी से प्रार्थना पत्र स्वतंत्र किया जाता है
यूक्त स्पगन यत्रायली यूक्त कामील संख्या 21/2018
को संलग्न की जावे।

इस न्यायालय से यत्रायली युक्त
कैसाब की अफा नम्बर से कम हो।


जिला कलेक्टर
राजी (राज)
14/1